न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बेंरा तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 59/2010 राजस्व वाद

अनवान

1. भैरूलाल पिता रामलाल शर्मा (ब्राहमण) निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2. जमनी पुत्री रामलाल शर्मा (ब्राहमण) निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
3. गीता पुत्री रामलाल शर्मा (ब्राहमण) निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

—— (वादीगण)

बनाम

1. लादु पिता प्रताप ब्राहमण निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2. बालु पिता हजारी ब्राहमण निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
3. सुरेश पिता सोहन ब्राहमण निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
4. माया पुत्री सोहन ब्राहमण निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
5. मृतक सुशीला पुत्री सोहन ब्राहमण के बजाय पति सांवरमल पिता घीसुलाल गर्ग निवासी थाबोला पंचायत बावडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
6. मृतक सुशीला पुत्री सोहन ब्राहमण के बजाय पुत्री भीमराज पिता सांवरमल ब्राहमण निवासी थाबोला पंचायत बावडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
7. मांगी बेवा सोहन ब्राहमण निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
8. सुवालाल पिता केला ब्राहमण निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
9. बालु पिता हजारी ब्राहमण निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
10. सुवा पिता केला ब्राहमण निवासी बेंरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री मुरारी जोशी...........वादी अधिवक्ता
2. श्री भैरूलाल ब्राहमण ....स्वय वादी
3. पैरोकार सरकार

दिनांक— 29.06.2017

राजस्व लोक अदाल केम्प मुकाम बेरा में वादीगण अधिवक्ता उपस्थित। आज दिनांक 29.06.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी से अन्तर्गत धारा 53 ,188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य इस प्रकार मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम बेंरा पटवार क्षैत्र बेंरा तहसील बनेडा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्षा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का हक हिस्सा प्रथक व प्रतिवादी कम 01 लगायत 10 को शामलात यथावत रखते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्षाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है—

1. भैरूलाल पिता रामलाल, जमनी गीता पुत्री रामलाल ब्राहमण सा0देह (वादीगण)

आ0न0	रकबा	/किस्म
1239	01—02	बी0ब0 0.47
1281	00—08	बी0ब0 0.18
कुल 2	रकबा 01—10 बीघा	

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.

2. लादु पिता प्रताप 1/4, बालु पिता हजारी 1/8, सुरेश माया सुशीला पिता सोहन, मांगी बेवा सोहन 1/8, सुवालाल पिता केला 1/4, बालु पिता हजारी 1/16, केशर बेवा हजारी, सुरेश पिता सोहन, माया सुशीला पुत्री सोहन, मांगी बेवा सोहन 1/16, सुवा पिता केला 1/8 ब्राहमण सा0देह खातेदार (प्रतिवादी)

आ0न0	रकबा	किस्म
1228	0.16	बी0ब0 0.36
1236	0.08	बी0ब0 0.18
1237	0.10	गे0मु0पाल
1239/1	4.15	बी0ब0 2.16
1283	0.03	गे0मु0खड्डा –
कुल 5	रकबा 06–12 बीघा	2.70

3. लादु पिता प्रताप 1/4 बालु पिता हजारी 3/16, सुरेश माया सुशीला पिता सोहन, मांगी बेवा सोहन 3/16, सुवालाल पिता केला 3/16, भैरूलाल पिता रामलाल , जमनी गीता पुत्री रामलाल 3/16, ब्राहमण सा0देह खातेदार

आ0न0	रकबा	किस्म
1238	00–05	गे0मु0चाह
कुल 1	रकबा 00–05 बीघा	–

उक्तानुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 10 के मध्य क्रम संख्या 1 से 3 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 29.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बेंरा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवांड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रमाणित शुदा प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा